संख्या-4/2015/107 /सत्रह-म -2015 ।।-। - अ(4)/2006

प्रेषक

क्षेत्रपाल
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 फरवरी 2015

विषय वर्ष २०१४-१५ में अनुदान संख्या -१७ लेखाशीर्षक २४०५- मछली पालन –आयोजनेत्तर के अन्तर्गत मानक मद २०- सहायता अनुदान- सामान्य (गैरवेतन) में अवशेष धनराशि निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या – ७२ /ले0शा0/ वित्तीय स्वी0 -२०१४-१५ दिनांक २४-०९-२०१४ एवं पत्र संख्या – ०६/ ले0शा0/ वित्तीय स्वीकृति -२०१३-१४ दिनांक २०-०१-२०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में प्रथम चार माहों (अपैल से जुलाई ,२०१४ तक) के लिए १९ जनपदों में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु अनुदान संख्या – १७ लेखाशीर्षक२४०५- मछली पालन-आयोजनेत्तर १९०- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता ०१ – केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, ०१०१- मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता की मानक मद २०- सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत रू0 ६,६७,००० (रू0 छः लाख सरसठ हजार मात्र) एवं ३१- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत रू0 १,०९,१३,००० (रू0 एक करोड नौ लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार शासनादेश संख्या – ९७१/ सत्रह-म-२०१४ ।।- । अ (४) /२००६ दिनांक ३०-०५-२०१४ द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । चालू वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के आय व्ययक में मानक मद २०-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में रू0 २००० हजार का प्राविधान है जिसमें से अवशेष धनराशि रू0 १३३३ हजार निम्नलिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

धनराशि रू0 में

क्रमांक	मत्स्य पालक विकास अभिकरण / जनपद	२०- सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन)
१	मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ	४५०००
२	मत्स्य पालक विकास अभिकरण उन्नाव	९७०००
३	मत्स्य पालक विकास अभिकरण रायबरेली	१३४३००

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

४	मत्स्य पालक विकास अभिकरण फैजाबाद	१२४०००
५	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा	३१४००
६	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुल्तानपुर	९५४००
७	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बांराबंकी	९७०००
८	मत्स्य पालक विकास अभिकरण इलाहाबाद	२५०००
९	मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रतापगढ	५२१००
१०	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोरखपुर	४२०००
११	मत्स्य पालक विकास अभिकरण देवरिया	९५१००
१२	मत्स्य पालक विकास अभिकरण आजमगढ	१३२१००
१३	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बलिया	६६०००
१४	मत्स्य पालक विकास अभिकरण वाराणसी	११०४००
१५	मत्स्य पालक विकास अभिकरण जौनपुर	५३०००
१६	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गाजीपुर	५२०००
१७	मत्स्य पालक विकास अभिकरण मेरठ	५१०००
१८	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बदॉयू	१४९००
१९	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बस्ती	१५३००
	योग -	१३३३०००

(रू0 तेरह लाख तैतीस हजार मात्र)

१- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण विघमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

२- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को उल्लिखित विवरण के अनुसार सम्बंधित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को तत्काल आवंटित करते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

३- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। उपरोक्त स्वीकृति धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनूअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी को स्वीकृति की आवश्यकता हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजकर ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लीे जाय । किसी भी दशा में उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१४-१५ की नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

४- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति धनराशि आहरण /व्यय, वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप- संख्या -बी- १ /२४५७/ दस- २०१४-२३१ / २०१४ दिनांक २२-०७-२०१४ में जारी निर्देशानुसार एकमुश्त न किया जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागारों से किश्तों में आहरण सम्बंधी आदेशों का समावेश सुनिश्चित किया जाय ।उपरोक्त अनुदानों के अन्तर्गत स्वीकृति धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियत्रंण् के सम्बंध में शासनादेश संख्या – बी-१ -११९५/दस -१६/९४ दिनांक ०६ जून १९९४ द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

५- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष२०१४-१५ में अनुदान संख्या -१७ - लेखाशीर्षक २४०५- मछली पालन- आयोजनेत्तर की योजना १९०-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, ०१- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, ०१०१- मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता (जिला योजना) (के0७५ / रा0 २५ के0+रा0) की मानक मद २०- सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग – १ के कार्यालय ज्ञाप संख्या – १६८५ /दस - १९९२ दिनांक १७-०७-१९९२ में प्रदत्त अधिकारों तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या – बी- १ - २४५७ /दस -२०१४ – २३१ / २०१४ दिनांक २२-०७-२०१४ के अनुसार जारी किये जा रहें है ।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या- 4/2015/107 /सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

१- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वतीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
२- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वतीय उ0प्र0 इलाहाबाद
३- सम्बंधित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
४- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
५- वित्त (व्यय – नियत्रंण) अनुभाग-२/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग -१
६- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**